न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–02 / 2022

1. बक्शीश सिंह पुत्र हीरासिंह जाति बावरी निवासी 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. नक्षत्रसिंह पुत्र बली सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. हरदयाल पुत्र हीरा सिंह जात बावरी निवासी 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. ओम प्रकाश पुत्र मल्लुराम जाति नायक निवासी 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. ईशरराम पुत्र मल्लुराम जाति नायक निवासी निवासी 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. कालूराम पुत्र मल्लुराम जाति नायक निवासी निवासी 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— प्रार्थीगण

बनाम्

1. मीरां देवी पत्नी भीखाराम जाति मेघवाल सरपंच 21 एस.जे.एम.तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगागनर
2. श्रीमान विकास अधिकारी, अनूपगढ
3. श्रीमान् तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट बाबत् रास्ता

दिनांकः–11.10.2022

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या–01 के धारण मे चक 19 एसजेएम का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–297 / 337 के किला नं.–19ता22 की कुल 1.0120 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या–2 ने चक 19 एस.जे.एम. के मुरब्बा नं.–13 पत्थर संख्या–295 / 378 के किला नं.–1ता25 व मुरब्बा नं.–8 पत्थर नं.–296 / 377 का 1ता25 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा खरीद कर रखी है जिसका दावा आज रोज जैरकार है। प्रार्थी संख्या–3 के नाम से चक 19 एसजेएम का मुरब्बा नं.–3 पत्थर संख्या–296 / 376 का किला नं.–11ता25 की कुल 2.6750 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या–4 के नाम से चक 19 एसजेएम का मुरब्बा नं.–6 पत्थर संख्या–298 / 377 के किला नं.–1ता22 की कुल 1.4170 प्रार्थी संख्या–5 के नाम से चक 19 एसजेएम के मुरब्बा नं.–6 पत्थर संख्या–298 / 377 के किला [illegible],14,15,16,17,24,25 की कुल 1.5180 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो प्रार्थी[illegible] के [illegible] काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि में [illegible] के लिए [illegible] स्वीकृत नही है। जमाबंदी की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा चक 21 एसजेएम मे मुरबा नम्बर 12 पत्थर संख्या–299 / 376 के किला नम्बर 21[illegible] में पहले से चारदीवारी शमशान घाट की बनी हुई है और प्रार्थीगण को रास्ता जाने आने के लिए छोडकर बनी हुई है और अब कुछ जगह से चार दीवारी टूट गई है। अब सरपंच एवं विकास अधिकारी द्वारा उसी जगह पर दोबारा चारदीवारी नही बनाकर उपरोक्त प्रार्थीगण के खेत मे जाने आने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.11.09 13:18:51 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता छोडा हुआ था उस जगह पर नई चारदीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। अगर उस जगह पर चारदीवारी का निर्माण कार्य हो गया तो प्रार्थीगण को आने जाने का रास्ता बंद जायेगा और प्रार्थीगण अपने खेत मे नही जा सकेगे और ना ही अपने खेत मे जाकर कोई फसल काश्त कर सकेगे। प्रार्थीगण सरपंच के पास आज से करीब 3 माह पूर्व भी प्रार्थना पत्र देकर आये थे कि यहॉ पहले शमशान घाट की चारदीवारी बनी हुई है वहां चारदीवारी बना लेवे। सरपंच साहब बोले वही चारदीवारी बनायेंगे लेकिन कल प्रार्थीगण के रास्ता मे ईंटे व बजरी गिरा दी गई और कहने लगे कि आपके खेतों मे जाने आने का रास्ता बंद करेंगे अगर प्रार्थीगण का रास्ता बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण को खेतों में जाने आने में रूकावट पैदा हा जावेगी और अपने खेतों मे इसी रास्ता से आ जा रहे है और आज रोज भी रास्ता चालू है। अगर प्रार्थीगण अपने खेत मे नही जा सके तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसको मुद्रा में नही आंका जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा आज से 2 रोज पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत 21 एसजेएम से रास्ता बंद नही करने बाबत निवेदन यिका सरपंच द्वारा प्रार्थीगण को स्पष्ट इंकार कर दिया कि मैं तो आपके खेतों मे जाने वाला रास्ता बंद करूँगा। बस यही बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–01 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी सं.–02 ने भूमि जरिए ईकरारनामा खरीद करना बताया है ईकरारनामा से प्रार्थी सं.–02 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है जब तक वादी कथित ईकरारनामा के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री प्राप्त नही करता इस मद में वर्णित मुरब्बों को अलग से सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत है। चक 21 एस जे एम के पत्थर नं.7299/376 के किला नं. –21 का 0.127 हैक्टर, 22ता25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन शमशान भूमि दर्ज है इस भूमि पर पूर्व मे शमशान घाट की चार दीवारी बनी हुई थी जो कुछ जगह टूटी होने के कारण ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है उक्त निर्माण काग्र को रूकवाने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर अनावश्यक रूप से प्रार्थीगण द्वारा चाराजोई की गई है प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए अलग से रास्ता स्वीकृत है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत मे आवागमन कर रहे है किला नं.–21ता25 शमशान घाट की जगह पर कभी भी रास्ता चालू नही रहा है प्रार्थीगण को कोई अपूर्णिय क्षति नही है बल्कि प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम पंचायत के विकास के काार्यों मे अनावश्क रूप से व्यवधान डालने से पंचायत के विकास कार्य अवरूद्व हो रहे है। किला नं.–21ता25 की भूमि मे कोई रास्ता नही चलता है प्रार्थीगण को कोई बिनाय मुखासमत प्राप्त नही है अतः प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।

अतिरिक्त कथन में निवेदन की चक 21 एसजेएम के पत्थर नं.–299/376 के किला नं. –21 का 0.127 हैक्टर, 22ता25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन शमशान भूमि दर्ज है इस भूमि पर पूर्व में शमशान घाट की चार दीवारी बनी हुई थी तत्पश्चात उक्त चार दीवारी काफी जगह टूटी हुई है। प्रार्थीगण को आने जाने के लिए अन्य रास्ते स्वीकृत है। लेकिन अप्राथीगण अन्य लोगों के राजनैतिक बहकावे में आकर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को बिना किसी उचित कारण के व्यवधान डालने के प्रयास में है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त करने की स्थिति में ग्राम पंचायत के अवसंरचना परियोजना सम्बंधित विकास कार्य अवरूद्व हो रहे है जिसको अवरूद्व करने प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। अनवान सदर के प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के विकास कार्य को रूकवाने के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.11.09 13:18:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत को दो माह का कोई नोटिस नही दिया है जो नोटिस दिया जाना आवश्यक है इसलिए नोटिस के अभाव मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किए जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि इस धारा के तहत किसी खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि मे से ही रास्ता मंजूर किया जा सकता है जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ता की भूमि गैर मुमकिन शमशान भूमि है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण शमशान भूमि से रास्ता प्राप्त करने के कतई विधिक अधिकारी नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के हैं

तदपंरात बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे। अंततः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता गैर मुमकिन शमशान घाट में चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत केवल जोत तक पहुँचने हेतु किसी अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण किसी अन्य खातेदार की जोत में से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए पुनः प्रार्थना पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के सुसंगत प्रावधानों के तहत नही होने के कारण अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.11.09 13:18:51 IST
Reason: SelfAttested